:: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़) ::

आदेश

थाना सिहावा के अप.क 45/26 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण मे गिरफ्तार किये गये आरोपियो का डॉक्टरी मुलाहिजा सर्तकता पूर्वक पर्याप्त बल के साथ लगाये जाने हेतु सउनि सोनचंद डहरिया को थाना प्रभारी द्वारा निर्देशित किया गया। जो सउनि सोनचंद डहरिया द्वारा निर्देश का पालन न करते हुए दिनांक 11.06.2026 के 11.40 बजे थाना सिहावा मे पदस्थ आर. 652 अजय नेताम, डीएसएफ 2042 हिमेश नेताम एंव महिला आरक्षक 864 डिगेश्वरी साहू के सुरक्षार्थ डॉक्टरी मुलाहिजा हेतु सीएचसी नगरी रवाना किया गया था कि एक आरोपी पलाश गजभिए पिता किशोर गजभिए उम्र 32 वर्ष साकिन कचूर वाही थाना आरोली तहसील रामटेक जिला नागपुर (महाराष्ट्र) कर्मचारियों के घोर लापरवाही व पूर्ण सर्तकता नही बरतने के कारण अभिरक्षा से फरार हो गया। उपरोक्त कर्मचारियो के द्वारा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रक्षित आरक्षी केन्द्र धमतरी रहेगा तथा निलंबन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता एंव अनुषांगिक भत्ते प्राप्त होते रहेंगे।

civilindia.in

सही/–
(सूरज सिंह परिहार भा.पु.से)
पुलिस अधीक्षक
जिला–धमतरी

क्रमांक :– पु0अ0/धम0/स्टेनो/निलंबन– 03 /प्राथ0 जांच– 15 /2026 दिनांक 11/06/2026

प्रतिलिपि–

01. अति.पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
02. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी जिला धमतरी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु। तत्संबंध में विधिवत प्राथमिक जॉच कर जॉच प्रतिवेदन 10 दिवस मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित निरीक्षक, जिला धमतरी को ओ0बी0 हेतु।
04. थाना प्रभारी सिहवा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी मुलि/आंकिक/स्थापना/लेखा–2/वेतनशाखा पुलिस कार्यालय धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06 सउनि सोनचंद डहरिया, आर. 652 अजय नेताम, डीएसएफ 2042 हिमेश नेताम एंव महिला आरक्षक 864 डिगेश्वरी साहू को थाना प्रभारी सिहावा के माध्यम से तामीली हेतु तामीली पावती उपलब्ध करावें।

पुलिस अधीक्षक
जिला–धमतरी 11/6/26